झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, झारखण्ड विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, झारखण्ड विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ
2. परिभाषाएँ

अध्याय–2

विश्वविद्यालय तथा प्रायोजक निकाय

3. विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव
4. विश्वविद्यालय की स्थापना
5. सहायता हेतु अनधिकृत विश्वविद्यालय
6. अंगीभूत महाविद्यालय केन्द्र तथा सम्बद्ध महाविद्यालय
7. विश्वविद्यालय का उद्देश्य
8. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ
9. समस्त वर्ग, जाति, पंथ, धर्म, भाषा एवं लिंग भेद से मुक्त विश्वविद्यालय
10. राष्ट्रीय प्रमाणन

अध्याय–3

विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण

11. विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण
12. अभ्यागत
13. कुलाधिपति
14. कुलपति

15. संकायाध्यक्ष
16. कुलसचिव
17. वित्त पदाधिकारी
18. अन्य पदाधिकारीगण

अध्याय–4

विश्वविद्यालय के प्राधिकार

19. विश्वविद्यालय के प्राधिकार
20. प्रशासक मंडल तथा उसकी शक्तियॉ
21. प्रबंधन मंडल
22. विद्वत् परिषद्
23. वित्त समिति
24. शोध परिषद्
25. दूरस्थ शिक्षा समिति
26. अन्य प्राधिकार
27. रिक्तियों के कारण कार्यवाहियों का अमान्य नहीं

अध्याय–5

परिनियम एवं नियम

28. परिनियम
29. परिनियम की रचना
30. परिनियम में संशोधन करने की शक्ति
31. नियम
32. नियम की रचना
33. नियम में संशोधन करने की शक्ति

अध्याय–6

विविध

34. कर्मचारियों की सेवाशर्तें
35. पुनर्न्याय याचना (अपील) का अधिकार
36. भविष्य निधि एवं पेंशन
37. विश्वविद्यालय के अधिकारों एवं निकायों के गठन से संबंधित विवाद
38. समितियों का गठन
39. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना
40. सद्भाव में की गई कार्रवाई का संरक्षण
41. संक्रमण संबंधी प्रावधान
42. स्थायी निधि कोष
43. सामान्य कोष
44. विकास कोष
45. कोष का संधारण
46. वार्षिक प्रतिवेदन
47. लेखा एवं अंकेक्षण
48. विश्वविद्यालय अभिलेख के प्रमाणन की पद्धति
49. विश्वविद्यालय का विघटन
50. विश्वविद्यालय व्यय
51. परिनियम एवं नियम का उपस्थापन
52. कठिनाईयों का निराकरण

उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, झारखंड विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

लक्ष्य और उद्देश्य :– उषा मार्टिन विश्वविद्यालय फाउंडेशन, 24, आर0 एन0 मुखर्जी रोड, कोलकाता के द्वारा प्रायोजित व्यापार प्रबंधन, अभियांत्रिकी एवं प्रयुक्त विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, विधि, मानविकी तथा समाज विज्ञान, आतिथ्य एवं पर्यटन, मीडिया और संचार, आरोग्य एवं औषधि विज्ञान, बीमा एवं जोखिम प्रबंधन, वास्तु शास्त्र एवं योजना, चलचित्र एवं दूरदर्शन, सज्जा (फैशन) प्रौद्योगिकी, खनन एवं वानिकी, राज्य सरकार के पदाधिकारियों का गुणवत्ता–प्रशिक्षण एवं विकास इत्यादि के क्षेत्रों तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की उद्योग–प्रासंगिक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के बल (इम्फैसिस) के साथ राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना तथा निगमन करना एवं उनसे सम्बंधित अथवा उनके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।

जबकि तकनीकी शिक्षा हेतु श्रेष्ठ नेतृत्व, शोध ज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा हेतु विचारों के विकास के माध्यम से एक प्रतिमान–परिवर्तन को प्रोत्साहित, अवधारित तथा आहूत करने हेतु और इसके पश्चात् आने वाले प्रयोजनों हेतु झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना एवं निगमन करना उचित है;

भारतीय गणतंत्र के तिरसठवें वर्ष में झारखंड के विधान मंडल के द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ**

   (i) यह अधिनियम उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, झारखंड अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

   (ii) यह राज्य सरकार राजकीय राजपत्र के अधिसूचना के तिथि से प्रभावी होगा।

2. **परिभाषाएँ** – जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

   (i) "विद्वत् परिषद" : विद्वत् परिषद से अभिप्रेत है, धारा 22 के अंतर्गत निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की विद्वत् परिषद ।

   (ii) "ए आइ सी टी ई" : ए आइ सी टी ई से अभिप्रेत है, तकनीकी शिक्षा हेतु अखिल भारतीय परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद।

(iii) "सम्बद्ध महाविद्यालय" : सम्बद्ध महाविद्यालय से अभिप्रेत है, एक ऐसा महाविद्यालय अथवा संस्था जो विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो ।

(iv) "वार्षिक प्रतिवेदन" :वार्षिक प्रतिवेदन से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 46 में अभ्युद्देशित (रेफर्ड) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(v) "प्रशासक मंडल" : "प्रशासक मंडल से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत संघटित विश्वविद्यालय का प्रशासक मंडल ।

(vi) "प्रबंधन मंडल" : प्रबंधन मंडल से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत संगठित विश्वविद्यालय की प्रबंधन समिति ।

(vii) "कुलाधिपति" : कुलाधिपति से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलाधिपति ।

(viii) "अंगीभूत महाविद्यालय" : अंगीभूत महाविद्यालय से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के द्वारा संधारित महाविद्यालय अथवा संस्था ।

(ix) "विकास कोष" : विकास कोष से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय का विकास कोष ।

(x) "दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था" : दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था से अभिप्रेत है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के किसी भी माध्यम के द्वारा शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था, जैसे, बहुमाध्यमी संचार (मल्टी मीडिया), प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, इंटरनेट पर ऑन लाइन, अन्य अंतर–सक्रिय विधियाँ (इंटर एक्टिव मेथड्स) ई–मेल, इंटरनेट, संगणक (कम्प्यूटर), अंतर सक्रिय पारस्परिक वार्तालाप (इंटर–एक्टिव टॉक–बैक), इ–लर्निंग, पत्राचार पाठ्यक्रम, विशेषाध्ययन वर्ग परिसंवाद (सेमिनार), विचार गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम अथवा इन्हीं माध्यमों में से किन्हीं दो या दो से अधिक का संयोजन ।

(xi) "दूरस्थ शिक्षा समिति" : दूरस्थ शिक्षा समिति से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 25 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा समिति ।

(xii) "स्थायी निधि कोष" : स्थायी निधि कोष से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय का स्थायी निधि कोष ।

(xiii) "कर्मचारी" : कर्मचारी से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी एवं इसमें विश्वविद्यालय अथवा अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं।

(xiv) "संकाय" : संकाय से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का संकाय ।

(xv) "वित्त पदाधिकारी" : वित्त पदाधिकारी से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय का वित्त पदाधिकारी ।

(xvi) "सामान्य कोष" : सामान्य कोष से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय का सामान्य कोष ।

(xvii) "विहित" : विहित से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गये परिनियमों तथा नियमों के द्वारा विहित ।

(xviii) "प्राचार्य" : प्राचार्य से अभिप्रेत है, अंगीभूत महाविद्यालय का अध्यक्ष एवं जहाँ प्राचार्य नहीं हो, वहाँ उप प्राचार्य अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसे कुछ काल के लिए प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया हो, इसमें सम्मलित हो।

(xix) "क्षेत्रीय केन्द्र" : क्षेत्रीय केन्द से अभिप्रेत है, किसी क्षेत्र में अध्ययन केन्द्रों के कार्य का समन्वय एवं निरीक्षण तथा प्रबंधन मंडल के द्वारा ऐसे केन्द्र को सौंपे गये इसी प्रकार के अन्य कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित तथा संचालित केन्द्र ।

(xx) "कुलसचिव" : कुलसचिव से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलसचिव।

(xxi) "शोध परिषद" : शोध परिषद से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 24 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की शोध परिषद।

(xxii) "नियम" : नियम से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये विश्वविद्यालय के नियम ।

(xxiii) "प्रायोजक" : प्रायोजक से अभिप्रेत है, उषा मार्टिन विष्वविद्यालय फाउडेषन, 24 आर0 एन0 मुखर्जी रोड, कोलकाता, जो एक न्यास के रूप में निबंधित है।

(xxiv) "राज्य" : राज्य से अभिप्रेत है, झारखंड राज्य ।

(xxv) "राज्य सरकार" : राज्य सरकार से अभिप्रेत है, झारखंड की राज्य सरकार ।

(xxvi) "परिनियम" : परिनियम से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के परिनियम ।

(xxvii) "अध्ययन केन्द्र" : अध्ययन केन्द्र से अभिप्रेत है, छात्रों के आवश्यकतानुसार सलाह, मंत्रणा या प्रशिक्षण, सम्पर्क कक्षाओं एवं परीक्षाओं के संचालन सहित किसी भी प्रकार की अन्य सहायता के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, संचालित अथवा मान्यता प्राप्त केन्द्र ।

(xxviii) "शिक्षक" : शिक्षक से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर/लेक्चरर अथवा विश्वविद्यालय या अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था में निर्देश देने अथवा शोध करने के लिए नियुक्त ऐसे अन्य व्यक्ति तथा इसमें अंगीभूत महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य सम्मिलित हैं।

(xxix) "यू जी सी" यू जी सी से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।

(xxx) "विश्वविद्यालय" : विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित " उषा मार्टिन विष्वविद्यालय, झारखण्ड" ।

(xxxi) "कुलपति" : कुलपति से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति ।

(xxxii) "विजिटर" : विजिटर से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 12 में अभ्युद्देशित (रेफर्ड) विश्वविद्यालय का अभ्यागत ।

अध्याय–2

विश्वविद्यालय और प्रायोजक निकाय

3. **विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव**

1) प्रायोजक को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अधिकार होगा।

2) प्रायोजक के द्वारा एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को समविष्ट करते हुए एक आवेदन राज्य सरकार को दिया जायेगा।

3) प्रस्ताव में निम्नलिखित विशिष्ट विवरण सम्मिलित होंगे, यथा,

(क) प्रायोजक के विवरण के साथ विश्वविद्यालय का उद्देश्य।

(ख) विश्वविद्यालय का विस्तार तथा स्थिति तथा भूमि की उपलब्धता।

(ग) आगामी पाँच वर्षों की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के द्वारा उपक्रमित किए जाने वाले अध्ययन तथा शोध के कार्यक्रमों की प्रकृति एवं प्रकार।

(घ) प्रारंभ किए जाने वाले प्रस्तावित संकायों, पाठ्यक्रमों तथा शोध की प्रकृति

(ङ) परिसर–विकास जैसे, भवन, साधन–सज्जा (इक्विपमेन्ट) तथा संरचनात्मक सुविधाएँ।

(च) आगामी पाँच वर्षों की अवधि के लिए पूँजी–व्यय की चरणबद्ध लागत (आउटलेट)।

(छ) मद के अनुसार आवर्ती व्यय, वित्त के स्रोत तथा प्रत्येक छात्र के लिए प्राक्कलित व्यय।

(ज) संसाधनों को प्रवृत्त करने की योजना तथा तत्सम्बंधी पूँजी का लागत मूल्य (कॉस्ट) तथा प्रत्येक स्रोत को अदायगी का तरीका।

(झ) छात्रों से वसूल किये गये शुल्क, परामर्श–प्रदान (कन्सलटेन्सी) से प्रत्याशित राजस्व तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्य से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों तथा अन्य प्रत्याशित आय के द्वारा आंतरिक रूप से कोष-निर्माण की योजना।

(ञ) इकाई लागत मूल्य (यूनिट कॉस्ट) पर व्यय, शुल्क में रियायत या छूट देने की सीमा, आर्थिक रूप से कमजोर तबके से सम्बन्धित छात्रों के लिए शुल्क माफी तथा छात्रवृत्ति तथा शुल्क–सरंचना जिसमें शुल्क की दरों में भिन्नता, यदि कोई हो, को दर्शाते हुए जो अप्रवासी भारतीयों तथा अन्य राष्ट्रीयता वाले छात्रों से वसूल किया जा सके, का विवरण।

(ट) प्रायोजक के नियंत्रण के अंतर्गत सम्बन्धित शाखाओं में अनुभव के वर्ष तथा विशेषज्ञता तथा तकनीकी संसाधन।

(ठ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के लिए छात्रों के चयन की व्यवस्था।

(ड) विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व, राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार, अन्य सदृश शर्तों की पूर्ति की स्थिति।

4. **विश्वविद्यालय की स्थापना**

1) ऐसी जाँच–पड़ताल जिसे राज्य सरकार अनिवार्य समझती है के बाद यदि राज्य सरकार संतुष्ट होती है कि प्रायोजक ने धारा 3 की उप धारा (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया है तो वह प्रायोजक को स्थायी निधि कोष स्थापित करने का निर्देश दे सकती है।

2) स्थायी निधि कोष की स्थापना के बाद राजकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दे सकती है।

3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखंड में होगा एवं प्रशासक मंडल के अनुमोदन पर इस विश्वविद्यालय के परिसर या क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र, झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत कहीं भी स्थापित हो सकता है।

4) इस ढंग से स्थापित विश्वविद्यालय में तत्काल पदासीन यथा नियत कुलाधिपति, कुलपति, प्रशासक मंडल के सदस्य, प्रबंधन मंडल तथा विद्वत् परिषद के सदस्य एक संयुक्त निकाय संघटित करेंगे तथा विश्वविद्यालय के नाम पर वे वाद दायर कर सकते हैं तथा उनपर वाद दायर किया जा सकता है।

5) उप धारा (2) के अंतर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना पर झारखंड राज्य में विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अधिगृहीत, सृजित, प्रबंधित या निर्मित भूमि और अन्य चल तथा अचल सम्पत्तियाँ विश्वविद्यालय में निहित होंगी।

6) विश्वविद्यालय के द्वारा अधिगृहीत भूमि भवन तथा अन्य सम्पत्तियाँ जिस प्रयोजन के लिए अधिगृहीत की गयी हैं, उसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लायी जाएँगी।

7) अधिनियम के पारित होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर विश्वविद्यालय 20 एकड़ भूमि अधिगृहीत करेगा तथा भूमि प्राप्त करने के बाद पहले वर्ष में 25,000 वर्ग फीट के भवन का निर्माण करेगा। इसके आगामी वर्ष में विश्वविद्यालय अतिरिक्त 25,000 वर्ग फीट का भवन निर्माण करेगा।

5. **सहायता हेतु अनधिकृत विश्वविद्यालय**

विश्वविद्यालय या इसके अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालयों या इसके केन्द्र स्व–वित्त–पोषित होंगे और राज्य सरकार के स्वामित्व वाला या राज्य सरकार के द्वारा

नियंत्रित किसी अन्य निकाय अथवा निगम से न तो कोई माँग करेगा और न किसी सहाय्य अनुदान अथवा किसी अन्य वित्तीय सहायता के लिए अधिकृत होगा।

6. **अंगीभूत महाविद्यालय केन्द्र तथा सम्बद्ध महाविद्यालय**

(i) विश्वविद्यालय में अंगीभूत महाविद्यालय, क्षेत्रीय तथा अध्ययन केन्द्र होंगे।

(ii) प्रशासक मंडल की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय अथवा अन्य संस्था को सम्बद्ध कर सकता है।

7. **विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य**

विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(क) व्यापार प्रबंधन, अभियांत्रिकी एवं प्रयुक्त विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, विधि, मानाविकी, तथा समाज विज्ञान, आतिथ्य एवं पर्यटन, मीडिया और संचार, आरोग्य एवं औषधि विज्ञान, बीमा एवं जोखिम प्रबंधन, वास्तु शास्त्र एवं योजना, चलचित्र एवं दूरदर्शन, सज्जा (फैशन) प्रौद्योगिकी, खनन एवं वानिकी, राज्य सरकार के पदाधिकारियों का गुणवत्ता–प्रशिक्षण एवं विकास के विशिष्ट क्षेत्रों इत्यादि तथा उनसे सम्बन्धित विषयों में निर्देश, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध का प्रावधान करना तथा उनसे सम्बन्धित क्षेत्रों में शोध, विकास तथा ज्ञान के विस्तार का प्रावधान करना।

(ख) झारखंड राज्य में एक परिसर की स्थापना करना।

(ग) अनवरत तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को प्रदान करना।

(घ) परीक्षा के आधार पर अथवा मूल्यांकन की किसी अन्य रीति के आधार पर डिग्री, डिप्लोमा, चार्टर, प्रमाण पत्र तथा अन्य विद्वत विशिष्टतायें आरंभ करना।

(ङ) भारत तथा विदेश में महाविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं, औद्योगिक संघों, व्यावसायिक संघों के साथ सहकार्य करना, विशिष्ट शैक्षणिक तथा शोध कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, छात्रों, संकाय सदस्यों तथा अन्य कार्यक्रम अवधारित, रूपांकित तथा विकसित करना।

(च) विशेषाध्ययन वर्ग परिसंवाद, सम्मेलन (कांफ्रेंस), (सेमिनार), कार्यपालक शिक्षा कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रकाशन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा ज्ञान का विस्तार करना।

(छ) विश्वविद्यालय संस्थाओं के संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए कार्यक्रमों का उपक्रम करना (अन्डरटेक)।

(ज) भारत अथवा विदेश की किसी संस्था के साथ सहकार्यता शोध का उपक्रम करना।

(झ) बौद्धिक क्षमताओं के उच्चतर स्तरों का सृजन करना।

(ञ) उद्योग, सरकार तथा सार्वजनिक संगठनों को परामर्श प्रदान करने की व्यवस्था करना।

(ट) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एडुकेशन (ए.आई.सी.टी.ई.), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.), डिस्टेंस एडुकेशन काउंसिल (डी.ई.सी.), डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डी.सी.आई.), इंडिया नर्सिंग काउंसिल (आइ.एन.सी.), मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई.), नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एडुकेशन (एन.सी.टी.ई.) तथा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इडिया (पी.सी.आई.) तथा अन्य राष्ट्रीय प्रमाणन निकायों के द्वारा स्थापित मानकों से नीचे डिग्री, डिप्लोमा, चार्टर, प्रमाण पत्रों तथा अन्य का स्तर नीचे नहीं हो।

(ठ) उपर्युक्त उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी अनिवार्य या उचित कार्य करना।

(ड) राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उद्देश्य का अनुसरण करना।

8. **विश्वविद्यालय की शक्तियाँ**

1) विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, यथा :

(क) ऐसे सदृश क्षेत्रीय केन्द्रों तथा अध्ययन केन्द्रों को स्थापित करना, संधारित करना तथा मान्यता देना जो कि समय-समय पर परिनियमों द्वारा नियमबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जा सके।

(ख) ऐसे अन्य सभी कार्यकलापों को पूरा करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्य के अग्रसरण के लिए आवश्यक एवं संभाव्य हों।

(ग) परिनियमों में नियम बद्ध तरीके एवं शर्तों के अंतर्गत डिग्री, डिप्लोमा, चार्टर, प्रमाण पत्र या अन्य विद्वत विशिष्टतायें तथा व्यावसायिक पदनाम प्रदान करना।

(घ) परिनियम के अनुसार उच्च-अध्ययन वृत्ति (फेलोशिप्स), छात्रवृत्ति तथा पुरस्कार स्थापित एवं प्रदान करना।

(ङ.) परिनियमों अथवा नियमों, स्थिति अनुसार, के द्वारा यथा निर्धारित शुल्क, विपत्र, बीजक (इनवॉयस) की माँग करना तथा प्राप्त करना एवं शुल्कों का संग्रह करना।

(च) छात्रों तथा कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम सम्बंधी कार्य-कलापों का प्रावधान करना।

(छ) झारखण्ड राज्य में स्थित विष्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों में संकाय, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

(ज) विश्वविद्यालय या अंगीभूत महाविद्यालय या क्षेत्रीय केन्द्र या अध्ययन केन्द्र के प्रयोजन हेतु किसी प्रकार के दान एवं उपहार प्राप्त करना तथा न्यास एवं स्थायी निधि सम्पत्तियों सहित किसी चल तथा अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण, स्वाधिकार (होल्ड), प्रबंध, संधारण तथा निपटारा करना।

(झ) मुख्य कमरों (हॉल्स) की स्थापना करना एवं संधारण करना तथा विश्वविद्यालय के छात्रों अथवा विश्वविद्यालय में मुख्य परिसर के अंगीभूत महाविद्यालय या अन्य परिसरों में छात्रों के आवास स्थान की मान्यता प्रदान करना।

(ञ) निवास स्थान का निरीक्षण तथा नियंत्रण करना, और छात्रों तथा सभी कोटि के कर्मचारियों के बीच अनुशासन का नियमन करना एवं इन कर्मचारियों की आचार संहिता सहित सेवा शर्त्तो को निर्धारित करना।

(ट) विद्वत् सम्बंधी (एकेडेमिक), प्रशासकीय एवं समर्थन कर्मचारी वर्ग (सपोर्ट स्टाफ) तथा अन्य अनिवार्य पद का सृजन।

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित रीति एवं प्रयोजनों के अनुसार अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के साथ सहयोग एवं सहकार्य (कोलैबोरेट) करना।

(ड) दूरस्थ ज्ञानार्जन (डिसटेन्स लर्निंग) के आधार एवं अनवरत शिक्षा (कन्टीन्यूईंग एजुकेशन) पर कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जानेवाले इन कार्यक्रमों की रीति का प्रस्ताव देना।

(ढ) शिक्षकों, पाठ्यक्रम की सामग्री विकसित करनेवालों, मूल्यांकनकर्त्ताओं तथा अन्य विद्वत कर्मचारीवर्ग (एकेडेमिक स्टाफ) के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (रिफ्रेशर कोर्सेज), उन्मुखी कार्यक्रमों (ओरिएन्टेशन कोर्सेज) कार्यशालाओं (वर्कशॉप्स), विशेषाध्ययन वर्ग परिसंवादों (सेमिनार) को संगठित करना एवं संचालित करना।

(ण) विद्वत् परिषद के अनुमोदन पर विश्वविद्यालय, अंगीभूत महाविद्यालयों, सम्बद्ध महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों में प्रवेश का स्तर निर्धारित करना।

(त) विश्वविद्यालय, या अंगीभूत महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र या अध्ययन केन्द्र के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए झारखण्ड राज्य के छात्रों के लिए विशेष प्रावधान करना, साथ ही प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 50% सीट कम शुल्क संरचना के आधार पर आरक्षित होगा एवं कम शुल्क संचरना समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(थ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसरण के लिए उन सभी चीजों तथा कार्यों, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों, में भाग लेना।

(द) स्नातक, स्नातकोत्तर, डाक्टर ऑफ फिलॉसफी, डाक्टर ऑफ साईंस उपाधियों के लिए सदृश पाठ्यक्रमों तथा शोध एवं अन्य सदृश डिग्रियों, डिप्लोमाओं, चार्टरों, प्रमाण पत्रों को विहित करना।

(ध) चलचित्र, कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट, सी0डी0, वी0सी0डी0 तथा अन्य सॉफ्टवेयर सहित निर्देशात्मक सामग्री तैयार करने का प्रावधान करना।

(न) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन अवधि के समतुल्य अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्च शिक्षा के अन्य स्थानों की परीक्षा या अध्ययन अवधि (चाहे पूर्ण या आंशिक) को मान्यता प्रदान करना तथा सदृश मान्यता को किसी समय वापस लेना।

(प) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए धन की व्यवस्था करना, संग्रह करना, अंशदान करना एवं प्रबंधकों के मंडल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की प्रतिभूति अथवा सम्पत्ति पर ऋण लेना।

(फ) संविदाओं को प्रविष्ट करना, पूरा करना, परिवर्तित करना या रद्द करना।

(ब) उक्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सभी आवश्यक या उचित कार्य करना।

9. **समस्त वर्ग, जाति, पंथ, धर्म, भाषा एवं लिंग भेद से मुक्त विश्वविद्यालय**

विश्वविद्यालय समस्त वर्ग, जाति, पंथ, धर्म, भाषा अथवा लिंग भेद से निरपेक्ष सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा।

परन्तुक, इस खण्ड में ऐसा कुछ नहीं है, जो राज्य के स्थानीय निवासी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के नामांकन के लिए विषेष प्रावधान करने से विष्वविद्यालय को रोकेगा।

यह राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में निर्गत निदेषों का दृढ़ता से पालन करेगा।

10. **राष्ट्रीय प्रमाणन**

(1) विश्वविद्यालय सम्बंधित राष्ट्रीय प्रमाणन निकायों से प्रमाणन प्राप्त करने का प्रयास करेगा, को प्राप्त करेगा तथा धारण करेगा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों एवं तदनुसार निजी विश्वविद्यालयों से सम्बंधित समय–समय पर बनाए गए नियमों/मार्गदर्शनों के अधीन होगा।

(2) शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विधि शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ करने से पहले स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधियाँ प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय क्रमशः नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एडुकेशन (NCTE) तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पूर्व अनुमति/मान्यता प्राप्त करेगा। तकनीकी कार्यक्रमों तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए सम्बंधित प्राधिकार निकायों, यदि तात्कालिक रूप से प्रभावी कानून के द्वारा आवश्यक हो, से अनुमति या मान्यता प्राप्त करेगा।

(3) तकनीकी शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों के सम्बंध में अनुमोदन/मान्यता प्राप्त करने के या मानकों के संधारण के विषय में संगत विधियाँ, नियम तथा नियमन (रेगुलेशंस) विश्वविद्यालय पर लागू होंगे।

अध्याय–3

विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण

11. **विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण** – निम्नलिखित विश्वविद्यालय के पदाधिकारी होंगे, यथा :–

(क) कुलाधिपति

(ख) कुलपति

(ग) कुलसचिव

(घ) वित्त पदाधिकारी; तथा

(ङ) अन्य पदाधिकारी जो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के रूप में परिनियमों के द्वारा यथाघोषित हों।

12. अभ्यागत

(1) झारखंड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के अभ्यागत होंगे

(2) अभ्यागत, जब उपस्थित होंगे, डिग्री, डिप्लोमा, चार्टर, पदनाम तथा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) अभ्यागत को निम्नलिखित शक्तियाँ, होंगी, यथा :-

(क) विश्वविद्यालय के कार्यों से सम्बंधित किसी कागज या सूचना की माँग करना।

(ख) अभ्यागत को उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर यदि वे (अभ्यागत) संतुष्ट होते हैं कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार के द्वारा दिया गया कोई आदेश, कार्यवाही या निर्णय, अधिनियम, नियमन (रेगुलेशन) या नियम के अनुसार नहीं है तो वे जिन निर्देशों को विश्वविद्यालय के हित में उचित समझते हैं वैसा निर्देश जारी कर सकते हैं और इस प्रकार जारी किए गए निर्देशों का सभी सम्बंधित व्यक्तियों के द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

13. कुलाधिपति

(1) प्रायोजक, अभ्यागत के पूर्वानुमोदन से, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त होने योग्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा।

(2) तदनुसार नियुक्त कुलाधिपति पाँच वर्ष की अवधि के लिए पदासीन होगा।

(3) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(4) डिग्री, डिप्लोमा, चार्टर, पदनाम तथा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए कुलाधिपति प्रबंधक मंडल की अध्यक्षता करेगा।

(5) कुलाधिपति के निम्नलिखित अधिकार होंगे, यथा :-

(क) किसी सूचना या अभिलेख की माँग करना।

(ख) कुलपति को नियुक्त करना।

(ग) कुलपति को हटाना।

(घ) इस अधिनियम अथवा तदनुसार निर्मित परिनियमों के अनुसार उसे प्रदत्त अन्य सदृश शक्तियाँ।

14. कुलपति

(1) कुलपति को कुलाधिपति के द्वारा परिनियमों द्वारा विहित शर्तों एवं स्थितियों में चार वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जायेगा।

(2) कुलपति, कुलाधिपति के द्वारा प्रबंधक मंडल द्वारा अनुशंसित तीन व्यक्तियों की सूची में से नियुक्त किया जायेगा तथा वह चार वर्षों के कार्यकाल के लिए पदासीन होगा।

वशर्त्ते चार वर्षों की अवधि के समापन के बाद, कुलपति एक अन्य कार्यकाल, जो चार वर्षों से अधिक का नहीं होग, के लिए पुनर्नियुक्ति के योग्य होगा।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा अधिविद्य (एकेडेमिक) पदाधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करेगा तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के निर्णयों को प्रभावी बनायेगा।

(4) यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे विषय पर शीघ्र कार्रवाई करना अनिवार्य हो जिसके लिए इस अधिनियम के द्वारा अथवा अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकार को शक्ति प्रदत्त हो तो कुलपति जैसा अनिवार्य समझता है, वैसी कार्रवाई कर सकता है तथा उसके बाद शीघ्रतम अवसर पर ऐसे पदाधिकारी अथवा प्राधिकार को अपनी कार्रवाई का विवरण इस प्रकार देगा जिस तरह कुलपति ने मामले को सामान्य तरीके से निष्पादित किया होता।

वशर्त्ते यदि सम्बद्ध प्राधिकार की राय में कुलपति को सदृश कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, तब सदृश मामले को कुलाधिपति के पास अभ्युद्देशित (रेफर्ड) कर दिया जायेगा जिसपर उनका निर्णय अंतिम होगा।

बशर्त्ते और आगे, जहाँ कुलपति के द्वारा की गयी किसी कार्रवाई से विश्वविद्यालय की सेवा के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता हो, तो वैसे व्यक्ति को यह अधिमानता देने का अधिकार होगा कि उस कार्रवाई की सूचना मिलने की तिथि से तीन महीने के अन्दर वह प्रशासक मंडल के पास पुनर्न्यायियाचना (अपील) कर सके और प्रशासक मंडल कुलपति के द्वारा की गयी कार्रवाई को सम्पुष्ट अथवा परिष्कृत (मोडिफाई) या प्रत्यावर्त्तित (रिवर्स) कर सकता है।

(5) यदि कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर हो या विश्वविद्यालय के हित के प्रति उसके पूर्वाग्रहित होने की संभावना हो, तो कुलपति सम्बन्धित प्राधिकार को उनके निर्णय लेने की तिथि से सात दिनों के अन्दर उस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध करेगा और यदि सात दिनों के अन्दर वह प्राधिकार उस निर्णय पर पूर्णतः या अंशतः पुनर्विचार करने से अस्वीकार करता हो अथवा सात दिनों के अन्दर कोई निर्णय लेने में असफल रहता हो, तो उस

मामले को कुलाधिपति के पास अभ्युद्देशित (रेफडी) कर दिया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जो परिनियमों या नियम के द्वारा निर्धारित हों।

(7) अभ्यागत तथा कुलाधिपति, दोनों की अनुपस्थिति में डिग्री, डिप्लोमा, चार्टर्स, पदनाम एवं प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए कुलपति दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(8) कुलाधिपति यथोचित जाँच के बाद कुलपति को हटाने के लिए अधिकृत होगा, यह कुलाधिपति के अधिकार में होगा कि जाँच के दौरान आरोप की गम्भीरता पर निर्भर करते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकता है।

15. संकायाध्यक्ष

संकायों के अध्यक्ष परिनियमों द्वारा विहित तरीके से कुलपति के द्वारा नियुक्त किए जायेंगे तथा सदृश शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सदृश कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो परिनियमों के द्वारा विहित हो।

16. कुलसचिव

(1) परिनियमों के द्वारा विहित तरीके से कुलसचिव की नियुक्ति की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें कुलसचिव के द्वारा हस्ताक्षरित की जायेंगी तथा सभी दस्तावेजों एवं अभिलेखों का प्रमाणीकरण किया जायेगा।

(3) जैसा विहित होगा या समय–समय पर प्रबंधक मंडल को जैसी आवश्यकता होगी कुलसचिव वैसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा वैसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(4) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुहर के यथोचित संरक्षण के लिए जिम्मेवार होगा तथा कुलाधिपति एवं कुलपति या अन्य किसी प्राधिकार के समक्ष ऐसी सभी सूचनायें एवं दस्तावेजों, जो उनके कार्यों के निर्वहन (ट्रांजेक्शन ऑफ देअर बिजनेस) के लिए आवश्यक हों, को उपस्थापित करने के लिए बाध्य होगा।

(5) कुलसचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जो परिनियमों के द्वारा विहित हो।

17. वित्त पदाधिकारी

वित्त पदाधिकारी प्रशासक मंडल द्वारा ऐसे तरीके से नियुक्त किया जायेगा एवं ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जो परिनियमों के द्वारा विहित हो।

18. **अन्य पदाधिकारी**

विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति का तरीका, सेवा की शर्तें एवं स्थितियाँ तथा शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य उसी प्रकार होंगे जैसा परिनियमों के द्वारा विहित हो।

अध्याय–4

विश्वविद्यालय के प्राधिकार

19. **विश्वविद्यालय के प्राधिकार** :– निम्नलिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकार होंगे, यथा :–

(क) प्रशासक मंडल।

(ख) प्रबंधन मंडल।

(ग) विद्वत् परिषद।

(घ) वित्त समिति।

(ड.) शोध परिषद।

(च) दूरस्थ शिक्षा समिति।

(छ) ऐसे अन्य प्राधिकार जो परिनियमों के द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किए गए हों।

20. **प्रशासक मंडल तथा इसकी शक्तियाँ**

(1) प्रशासक मंडल में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, यथा :–

(क) कुलाधिपति

(ख) कुलपति

(ग) यू०जी०सी० के द्वारा मनोनीत एक सदस्य

(घ) प्रायोजक के द्वारा मनोनीत तीन सदस्य

(ड.) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि

(च) अभ्यागत के द्वारा मनोनीत दो प्रसिद्ध शिक्षाविद्

(छ) कुलाधिपति के द्वारा मनोनीत दो विद्वान

(2) कुलाधिपति प्रशासक मंडल का अध्यक्ष होगा।

(3) कुलसचिव प्रशासक मंडल का पदेन सचिव होगा।

(4) प्रशासक मंडल विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकार तथा प्रधान शासी निकाय होगा तथा उसे निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, यथा :–

(क) विश्वविद्यालय के परिनियत अंकेक्षकों (स्टैच्यूटरी ऑडिटर्स) को नियुक्त करना।

(ख) विश्वविद्यालय के द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों को निर्धारित करना।

(ग) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों के निर्णयों, यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या नियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं हों, पर पुनर्विचार करना।

(घ) विश्वविद्यालय के आय–व्ययक (बजट) तथा वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

(ङ.) नए या अतिरिक्त परिनियमों तथा नियमों को बनाना या पूर्व के परिनियमों तथा नियमों को संशोधित करना या रद्द करना।

(च) विश्वविद्यालय के ऐच्छिक समापन के सम्बंध में निर्णय लेना।

(छ) राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन करना; तथा

(ज) इस प्रकार के निर्णय लेना तथा कदम उठाना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए वांछनीय पाए जाते हों।

(5) प्रशासक मंडल की बैठक, ऐसे समय और स्थान पर जिसे कुलाधिपति उपयुक्त समझें, पत्री वर्ष (कैलेन्डर इअर) में कम से कम दो बार होगी।

21. प्रबंधन मंडल

(1) प्रबंधन मंडल में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, यथा :–

(क) कुलपति

(ख) कुलसचिव

(ग) प्रायोजक द्वारा मनोनीत चार व्यक्ति

(घ) कुलाधिपति द्वारा मनोनीत दो संकायाध्यक्ष

(ङ.) राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि।

(2) कुलपति प्रबंधन मंडल का अध्यक्ष एवं कुलसचिव प्रबंधन समिति का सचिव होगा।

(3) प्रबंधन मंडल की शक्तियाँ तथा कार्य वैसे होंगे जैसा परिनियमों के द्वारा विहित हो।

22. विद्वत् परिषद

(1) विद्वत् परिषद में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, यथा :–

(क) कुलपति – अध्यक्ष

(ख) कुलसचिव – सचिव

(ग) अन्य ऐसे सदस्य जैसा परिनियमों में विहित हो

(2) विद्वत् परिषद विश्वविद्यालय का प्रधान विद्वत् निकाय होगा तथा, इस अधिनियम, परिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय की विद्वत् नीतियों का समन्वयन तथा सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।

23. वित्त समिति

(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, यथा :–

(क) कुलपति – अध्यक्ष

(ख) कुलसचिव – सचिव

(ग) वित्त पदाधिकारी – सदस्य

(घ) अन्य ऐसे सदस्य जैसा परिनियम में विहित हो।

(2) वित्त समिति वित्तीय मामलों को सँभालने के लिए विश्वविद्यालय का प्रधान वित्तीय निकाय होगा तथा, इस अधिनियम, परिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों पर समन्वयन तथा सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।

24. शोध परिषद्

(1) शोध परिषद विश्वविद्यालय की प्रधान शोध समिति होगी तथा शोध क्षेत्रों की प्राथमिकताओं समेत विश्वविद्यालय द्वारा उपक्रमित किए जाने वाले शोधों के प्रकार की वृहत्तर समग्रतावादी दृष्टि प्रदान करेगी। इस अधिनियम, परिनियमों, नियमनों तथा नियमों के प्रावधानों के अधीन शोध परिषद विश्वविद्यालय की शोध नीतियों का समन्वयन तथा सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(2) शोध परिषद में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, यथा :–

(i) कुलपति – अध्यक्ष ।

(ii) शोध के संकायाध्यक्ष (डीन ऑफ रिसर्च) – सचिव ।

(iii) सभी संकायाध्यक्ष – सदस्य ।

(iv) ऐसे अन्य सदस्य जैसा परिनियमों मे निर्दिष्ट हो।

25. दूरस्थ शिक्षा समिति

(1) दूरस्थ शिक्षा समिति, विशाल ज्ञानार्थी समुदाय, जो मुख्य परिसर तक आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, की पहुँच तक, सम्बद्ध शोध कार्य सहित दूरस्थ ज्ञानार्जन को चलानेवाली विश्वविद्यालय का प्रधान निकाय होगा। इस अधिनियम, परिनियमों, नियमनों तथा नियमों के प्रावधानों के अधीन दूरस्थ शिक्षा समिति विश्वविद्यालय के दूरस्थ ज्ञानार्जन कार्यक्रमों/नीतियों का समन्वयन तथा सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(2) दूरस्थ शिक्षा समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, यथा :–

(i) कुलपति – अध्यक्ष ।

(ii) कुलसचिव – सचिव ।

(iii) ऐसे अन्य सदस्य जैसा परिनियमों में निर्दिष्ट हो।

26. अन्य प्राधिकार

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारों के संघटन, शक्तियाँ तथा कार्य उसी प्रकार के होंगे जैसा परिनियमों में विहित हो।

27. रिक्तियों के कारण कार्यवाहियाँ अमान्य नहीं

सिर्फ किसी रिक्ति के विद्यमान होने अथवा प्राधिकार के संघटन से कर्त्तव्य परित्याग (डिफेक्शन) के कारण विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार के कृत्य अथवा कार्यवाहियाँ अमान्य नहीं होंगी।

अध्याय–5

परिनियम तथा नियम

28. परिनियम तथा नियम

परिनियम

इस अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के अधीन परिनियम विश्वविद्यालय तथा कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) से सम्बंधित किसी मामले पर निम्नानुसार प्रावधान कर सकते हैं :–

(क) अधिनियम में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के प्राधिकारों तथा अन्य निकायों एवं समय समय पर संघटित होने वाले अन्य सदृश प्राधिकारों के संघटन, शक्तियाँ एवं कार्य।

(ख) स्थायी निधि कोष, सामान्य कोष एवं विकास कोष का संचालन।

(ग) कुलपति, कुलसचिव तथा वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति की शर्तें एवं स्थितियाँ तथा उनकी शक्तियाँ एवं कार्य।

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों की भर्त्ती की प्रणाली तथा सेवा शर्तें।

(ङ) विश्वविद्यालय तथा इसके कार्यालयों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों तथा छात्रों के बीच विवादों के निपटारा हेतु कार्य प्रणाली।

(च) विभागों तथा संकायों का सृजन, समापन या पुनर्संरचना।

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों अथवा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग करने की रीति।

(ज) मानद उपाधि प्रदान करने की कार्य प्रणाली।

(झ) शुल्कमुक्तियाँ (फ्रीशिप्स) एवं छात्रवृत्तियों (स्कोलरशिप्स) प्रदान करने से सम्बंधित प्रावधान।

(ञ) अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या तथा इन पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की कार्य प्रणाली।

(ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के द्वारा व्ययनीय (चार्जेबल) शुल्क; बशर्ते छात्रों से दान अथवा प्रति व्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फी) वसूल करने से सम्बंधित कोई परिनियम राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना विश्वविद्यालय नहीं बनाएगा।

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों (फेलोशिप्स), छात्रवृत्तियों (स्कौलरशिप्स), विद्यार्थीवृत्तियों (स्टूडेन्टशिप्स), शुल्कमुक्तियों (फ्रीशिप्स), पदकों, पुरस्कारों को स्थापित करना।

(ड) पदों के सृजन एवं समापन की कार्यप्रणाली।

(ढ) अन्य सभी विषय जिन्हें इस अधिनियम के द्वारा प्रावधानित करने की आवश्यकता है।

29. **परिनियम की रचना**

प्रशासक मंडल के द्वारा निर्मित प्रथम परिनियम राज्य सरकार के पास अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जायेंगे।

30. **परिनियम में संशोधन करने हेतु शक्ति**

राज्य सरकार की पूर्वानुमति से प्रशासक मंडल नए परिनियम या अतिरिक्त परिनियम बना सकता है या परिनियमों में संशोधन कर सकता है।

31. **नियम**

इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, नियम निम्नलिखित सभी मामलों या किसी मामले पर प्रावधान कर सकते हैं, यथा :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का यथानियत प्रवेश, तथा उनका नामांकन (इनरौलमेंट) तथा निरंतरता।

(ख) विश्वविद्यालय की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, चार्टरों तथा अन्य विद्वत् विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले पाठ्यक्रम।

(ग) विश्वविद्यालय की डिग्रियाँ, डिप्लोमाओं, चार्टरों, प्रमाण पत्रों तथा अन्य विद्वत् विशिष्टतायें प्रदान करना।

(घ) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकारों का सृजन।

(ड.) अंकेक्षण नीति तथा वित्तीय कार्यप्रणाली।

(च) अधिछात्रवृत्तियाँ (फेलोशिप्स), छात्रवृत्तियाँ (स्कौलरशिप्स), विद्यार्थीवृत्तियाँ (स्टूडेन्टषीप्स), पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें।

(छ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षण निकायों, परीक्षकों, वीक्षकों, सारणीयकों (टेबुलेटर्स), अनुसीमकों (मोडरेटर्स) की नियुक्ति की शर्तें तथा प्रणाली एवं कर्त्तव्य।

(ज) विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश, डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण–पत्रों, चार्टरों तथा अन्य विद्वत् विशिष्टताओं के लिए वसूल किया जानेवाला शुल्क।

(झ) शुल्कों का पुनरीक्षण।

(ञ) विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों में सीटों की संख्या में परिवर्त्तन (आल्टरेशन)।

(ट) विश्वविद्यालय या अंगीभूत महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय में छात्रों के आवास की स्थितियाँ।

(ठ) विश्वविद्यालय या अंगीभूत महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन प्रतिपादित करना (मेन्टीनेन्स)।

(ड) सभी अन्य विषय जैसा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा परिनियमों में उपबन्धित हो।

32. नियमों की रचना

नियम प्रशासक मंडल के द्वारा बनाए जायेंगे तथा राज्य सरकार के पास उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जायेंगे।

33. नियम में संशोधन की शक्ति

राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रशासक मंडल नए या अतिरिक्त नियम बना सकता है या नियमों को संशोधित कर सकता है या रद्द कर सकता है।

अध्याय–6
विविध

34. कर्मचारियों की सेवा शर्त्तें

(1) प्रत्येक कर्मचारी एक लिखित संविदा, जो विश्वविद्यालय में रखी जायेगी एवं जिसकी एक प्रति सम्बद्ध कर्मचारी को दी जायेगी, के अंतर्गत नियुक्त होगा।

(2) छात्रों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई परिनियमों में विहित कार्यप्रणाली के द्वारा शासित (गवर्न्ड) होगी।

35. पुनर्न्याय याचना (अपील) का अधिकार

विश्वविद्यालय या अंगीभूत महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी, ऐसे समय के अंतर्गत जैसा विहित हो, विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी अथवा प्राधिकार या ऐसे किसी महाविद्यालय के

प्राचार्य के निर्णय के विरूद्ध प्रबंधन मंडल के पास पुनर्न्याय याचना (अपील) करने का अधिकार होगा, एवं तत्पश्चात् प्रबंधन मंडल जिस निर्णय के विरूद्ध पुनर्न्याययाचना (अपील) की गई है उसे सम्पुष्ट, परिष्कृत (मोडिफाई) या परिवर्तित कर सकता है।

36. भविष्य निधि कोष तथा सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन)

ऐसी रीति तथा ऐसी शर्त्तों के अधीन जो विहित हों विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए जैसा उचित समझेगा वैसा भविष्य निधि या सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) कोष संस्थापित करेगा तथा वैसी बीमा योजना का प्रावधान करेगा।

37. विश्वविद्यालय के प्राधिकारों तथा निकायों के गठन से सम्बंधित विवाद

यदि इस सम्बंध में कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत् चयनित या नियुक्त किया गया है या होने के लिए अधिकृत (एनटाइटल्ड) है तो मामले को कुलाधिपति, जिसका निर्णय उस प्रर अंतिम होगा, के पास अभ्युद्देशित (रिफर्ड) कर दिया जायेगा।

38. समितियों का गठन

धारा 19 में उल्लिखित विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकार ऐसे सदस्यों, जिन्हें ऐसा प्राधिकार योग्य समझता हो, को सम्मिलित करते हुए तथा ऐसी शक्तियाँ, जिन्हें प्राधिकार उचित समझता है, रखनेवाले सदृश प्राधिकार की एक समिति गठित कर सकता है।

39. आकस्मिक रिक्तियों की भर्त्ती

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय के सदस्यों बीच, पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, की किसी आकस्मिक रिक्ति को उसी प्रकार भरा जायेगा जिस प्रकार वह सदस्य, जिसकी रिक्ति भरी जानी है, का चयन किया गया था तथा जिस व्यक्ति के द्वारा वह रिक्ति भरी जा रही हो वह व्यक्ति उस प्राधिकार या निकाय का सदस्य उस शेष कार्यकाल के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य रहा होता जिसकी जगह को यह व्यक्ति भरता हो।

40. सद्भाव में की गई कार्रवाई का संरक्षण

किसी मामले में, जो सद्भाव में किया गया हो अथवा इस अधिनियम, परिनियमों या नियमों के अनुपालन के उद्देश्य से किया गया हो, विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी के विरूद्ध किसी चीज के लिए कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं चलेंगी।

41. संक्रमण सम्बंधी प्रावधान

इस अधिनियम तथा परिनियमों के किन्हीं अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए भी –

(क) प्रथम कुलपति कुलाधिपति के द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा कथित पदाधिकारी तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए पदासीन होगा।

(ख) कुलाधिपति के द्वारा प्रथम कुलसचिव तथा प्रथम वित्त पदाधिकारी नियुक्त होंगे जो तीन वर्षों की अवधि के कार्यकाल के लिए पदासीन होंगे।

(ग) प्रथम प्रशासक मंडल एक कार्यकाल, जो तीन वर्षों से अधिक का नहीं होगा, के लिए पदासीन होगा।

(घ) प्रथम प्रबंधन मंडल; प्रथम वित्त समिति तथा प्रथम विद्वत परिषद् कुलाधिपति के द्वारा तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए संघटित की जायेंगी।

42. **स्थायी निधि कोष**

(1) विश्वविद्यालय कम से कम दो करोड़ रूपये का स्थायी निधि कोष स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी निधि को इस प्रकार निवेश करने का अधिकार होगा जैसा कि विहित हो।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य कोष या विकास कोष में से कोई रकम स्थायी निधि कोष में स्थानान्तरित कर सकता है। विश्वविद्यालय के विघटन के अतिरिक्त, किसी भी अन्य परिस्थिति में स्थायी निधि कोष में से कोई धन अन्य प्रयोजनों के लिए स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है।

(4) स्थायी निधि कोष से प्राप्त आय की 75 प्रतिशत से अधिक की राशि विश्वविद्यालय के विकास कार्यों के प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की जा सकती है। शेष 25 प्रतिशत स्थायी निधि कोष में सुरक्षित रहेगी।

43. **सामान्य कोष**

(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य कोष की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित रकम जमा की जायेगी, यथा :–

(क) सभी शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा वसूल किए जा सकें।

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गई सभी राशियाँ।

(ग) प्रायोजक द्वारा किए गए सभी अंशदान।

(घ) इसके निमित्त किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा किए गए सभी अंशदान/दान जो तत्समय प्रभावी किसी विधि के द्वारा प्रतिबंधित नहीं हों।

(2) सामान्य कोष में जमा की गई राशि विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय के वहन हेतु उपयोग की जायेगी।

44. **विकास कोष**

(1) विश्वविद्यालय एक विकास कोष की स्थापना भी करेगा, जिसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जायेंगी, यथा :–

(क) विकास शुल्क जो विद्यार्थियों से वसूल किया जा सकेगा।

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनार्थ किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी राशियाँ।

(ग) प्रायोजक के द्वारा किए गए सभी अंशदान।

(घ) इसके निमित्त किसी व्यक्ति या निकाय द्वारा किए गए सभी अंशदान/दान जो तत्समय प्रभावी किसी विधि के द्वारा प्रतिबंधित नहीं हो। तथा

(ड.) स्थायी निधि कोष से प्राप्त सभी आय।

(2) विकास कोष में समय समय पर जमा की गई राशि विश्वविद्यालय के विकास हेतु उपयोग की जायेगी।

45. **कोष का संधारण**

धारा 42, 43 तथा 44 के अंतर्गत स्थापित कोषों का नियमन एवं संचालन प्रशासक मंडल के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन इस प्रकार किया जाय जैसा विहित हो।

46. **वार्षिक प्रतिवेदन**

(1) प्रबंधन मंडल के निर्देश के अंतर्गत विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा तथा प्रशासक मंडल के पास उसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) प्रशासक मंडल अपनी बैठक मे वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और उसको परिष्कार (मोडिफिकेशन) सहित या रहित अनुमोदित कर सकता है।

(3) प्रशासक मंडल के द्वारा विधिवत अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अंत होने वाले वित्तीय वर्ष का अनुसरण करते हुए 31 दिसम्बर को या उसके पूर्व अभ्यागत तथा राज्य सरकार के पास भेजी जायेगी।

47. **लेखा तथा अंकेक्षण**

(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा लेन–देन विवरणिका (बैलेंस शीट) प्रबंधन मंडल के निर्देश पर तैयार की जायेगी तथा विश्वविद्यालय के लेखा की या विश्वविद्यालय के द्वारा किसी भी स्रोत से प्राप्त राशियाँ तथा व्यय की गई या भुगतान की गई सभी राशियाँ विश्वविद्यालय द्वारा संधारित लेखा में अंकित की जायेंगी।

(2) प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, जो इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेट्स ऑफ इण्डिया का सदस्य है, के द्वारा किया जायेगा।

(3) वार्षिक लेखा तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ लेन–देन विवरणिका (बैलेंस शीट) की एक प्रति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अंत होने वाले वित्तीय वर्ष का अनुसरण करते हुए 31 दिसम्बर को या उसके पूर्व प्रशासक मंडल के पास प्रस्तुत की जायेगी।

(4) वार्षिक लेखा, लेन–देन विवरणिका (बैलेंस शीट) तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन पर प्रशासक मंडल द्वारा उसकी बैठक में विचार किया जायेगा तथा प्रशासक मंडल उसपर अपनी अभ्युक्ति (आब्जर्वेशन) के साथ उसे प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को या उसके पूर्व अभ्यागत एवं राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(5) यदि अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में कोई सारभूत परिष्कारात्मक विवरण (मेटेरियल क्वालिफिकेशंस) हों तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय को निर्देश निर्गत कर सकती है और इस प्रकार के निर्देश विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

48. विश्वविद्यालय अभिलेख के प्रमाणन की पद्धति

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या समिति की कोई रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या विश्वविद्यालय के अधिकार का कोई अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत् संधारित किसी पंजी (रजिस्टर) में किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुलसचिव के द्वारा सत्यापित हो तो, उसे इस प्रकार की रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज या पंजी में प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जायेगा तथा उनमें अभिलिखित विषयों तथा लेन–देन के साक्ष्य के रूप में उसे उसी तरह स्वीकार किया जायेगा जैसे मूल उस निमित्त, यदि उपस्थापित किया जाता तो, साक्ष्य में मान्य होता।

49. विश्वविद्यालय का विघटन

(1) यदि प्रायोजक विश्वविद्यालय के विघटन का प्रस्ताव इसके संघटन तथा निगमन को शासित करनेवाली विधि के अनुसार रखता है तो यह राज्य सरकार को कम से कम 12 (बारह) माह (पूर्व) लिखित सूचना देगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना–अवधि के दौरान नये प्रवेश (न्यू एडमिशंस) विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

(2) कुप्रबंधन, कुशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति में असफलता तथा विश्वविद्यालय की प्रबंध व्यवस्था में आर्थिक कठिनाईयों का अभिज्ञान (आइडेन्टिफिकेशन) होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय की प्रबंधन व्यवस्था को निर्देश निर्गत करेगा। यदि उस अवधि के अंतर्गत, जैसा कि विहित हो, निर्देशों का पालन नहीं होने पर विश्वविद्यालय के समापन हेतु निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।

(3) विश्वविद्यालय के समापन का तरीका ऐसा होगा जैसा कि इसके निमित्त राज्य सरकार के द्वारा विहित हो :

वशर्त्ते प्रायोजक को कारण बताने का तर्क पूर्ण अवसर प्रदान किए बिना इस प्रकार की कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में अभ्युद्देशित (रेफडी) सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार ए. आई.सी.टी.ई. तथा यू.जी.सी. की सम्मति से प्रायोजक द्वारा विश्वविद्यालय के समापन की प्रस्तावित तिथि से विश्वविद्यालय के प्रशासन हेतु सदृश व्यवस्था करेगी तथा तब तक करेगी जब तक विश्वविद्यालय के अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों का अंतिम जत्था (बैच) अपने पाठ्यक्रमों को इस तरीके से पूरा नहीं करता जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित हो।

50. **विश्वविद्यालय व्यय**

(1) विश्वविद्यालय के प्रबंधन कोष, सामान्य कोष या विकास कोष के अधिग्रहण की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन हेतु व्यय।

(2) यदि उपधारा (1) में अभ्युद्देशित (रेफडी) कोष इसके प्रबंधन की अधिग्रहण अवधि के दौरान व्यय वहन करने हेतु पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों का निपटारा कर ऐसे व्यय का वहन किया जा सकता है।

51. **परिनियम एवं नियमों का उपस्थापन**

इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक परिनियम या नियम इसके बनने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा।

52. **कठिनाईयों का निराकरण**

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना अथवा आदेश के द्वारा, ऐसे प्रावधान, जो इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा तत्समय प्रवृत्त संबंधित अन्य विधियों के असंगत नहीं हों, कर सकती है जो कठिनाई के निराकरण हेतु अनिवार्य एवं उचित प्रतीत होते हों :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तीन वर्ष की अवधि के समापन के पश्चात् उपधारा (1) के अंतर्गत कोई अधिसूचना, आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा।

यह विधेयक उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, झारखण्ड विधेयक, 2012 दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष ।